हिन्दी अख़बारों के संपादकों ने बना लिया है अपने पाठकों की हत्या का प्लान : रवीश कुमार

मीडिया ही आज़ाद नहीं है तो फिर आप किस सूचना के आधार पर सरकार का मूल्यांकन कर रहे हैं, यह सवाल खुद से पूछें और अपने हिन्दी अख़बार और न्यूज़ चैनलों से पूछें। सबकुछ बर्बाद हो जाए, इससे पहले यह सवाल ज़रूर पूछें।

हिन्दी अख़बारों के संपादकों ने अपने पाठकों की हत्या का प्लान बना लिया है। अख़बार कूड़े के ढेर में बदलते जा रहे हैं। हिन्दी के अख़बार अब ज़्यादातर प्रोपेगैंडा का ही सामान ढोते नज़र आते हैं। पिछले साढ़े चार साल में हिन्दी अख़बारों या चैनलों से कोई बड़ी ख़बर सामने नहीं आई। साहित्य की किताबों से चुराई गई बिडंबनाओं की भाषा और रूपकों के सहारे हिन्दी के पत्रकार पाठकों की निगाह से बच कर निकल जाते हैं। ख़बर नहीं हैं। केवल भाषा का खेल है।

आखिर जब बात ख़बरों को खोज निकालने और पहले पन्ने पर छापने के लिए लगातार पड़ताल की होती है तब हिन्दी का पत्रकार नज़र क्यों नहीं आता है?

ऐसा नहीं है कि उसके पास ख़बर नहीं है, उसकी योग्यता किसी से कम है मगर अख़बारों के मालिक और गुलाम संपादक उनकी धार कुंद कर देते हैं। क्या आपका हिन्दी अख़बार या चैनल आलोक वर्मा के मामले की ख़ुद से पड़ताल कर रहा है?

आधी रात से पहले हाई पावर कमेटी बैठती है। आलोक वर्मा को हटा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ख़ुद को उस कमेटी से अलग कर लेते हैं। इस आधार पर कि फैसला उन्होंने लिखा है। मगर उस कमेटी में प्रधानमंत्री बैठ जाते हैं। जबकि संदेह की सुई उन पर है कि वे ख़ुद को और अंबानी को बचाने के लिए रफाल मामले को दबा सकते हैं।

कायदे से प्रधानमंत्री को भी इस कमेटी से अलग हो जाना चाहिए था। कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करे ताकि जनता को संदेह न हो। जिस सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला ले सकती थी।

दि वायर में रोहिणी सिंह का खुलासा तो और भी गंभीर है। रोहिणी सिंह ने लिखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी आलोक वर्मा के घर गए थे। चौधरी चाहते थे कि आलोक वर्मा राकेश अस्थाना के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले लें। आलोक वर्मा ने यह बात जस्टिस पटनायक को लिख कर दिया था। जब राकेश अस्थाना ने वर्मा पर आरोप लगाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पटनायक को काम दिया कि वर्मा पर लगे आरोपों की जांच हो। रोहिणी सिंह की खबर का अभी तक सीवीसी चौधरी ने खंडन तक नहीं किया है। सोचिए ये हालत हो गई है।

रोहिणी सिंह ने लिखा है कि आलोक वर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अफसर भास्कर कुल्बे पर मुकदमा दायर करने का फैसला लेने वाले थे। कोयला घोटाले में भास्कर कुल्बे की भूमिका की जांच करना चाहते थे। राकेश अस्थाना इसका विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर वर्मा और अस्थाना में लड़ाई छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब 36 घंटे के लिए बहाली हुई तब आलोक वर्मा ने भास्कर कुल्बे के ख़िलाफ़ फैसला ले लिया, मगर उनके हटने के बाद नए कार्यवाहक निदेशक ने वर्मा के सारे फैसले पलट दिए।

रोहिणी सिंह लिखती हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से भी यह बात छिपाई कि वे आलोक वर्मा के घर गए थे और अस्थाना की तरफ से बात की थी। यह जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वर्मा के खिलाफ सीवीसी ने जो रिपोर्ट दी है वह पूरी तरह से अस्थाना की शिकायतों के आधार पर है। चौधरी चाहते थे कि अस्थाना की सालाना करियर रिपोर्ट में जो प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, वर्मा उसे बदल दें।

प्रतिकूल टिप्पणी के कारण प्रमोशन रुक जाता है। आलोक वर्मा के मना कर देने के बाद राकेश अस्थाना ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को वर्मा के खिलाफ शिकायतें भेजनी शुरू कर दी। उसी के आधार पर वर्मा को हटाया गया। वर्मा ने अस्थाना के खिलाफ जो शिकायतें की उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है।

जस्टिस पटनायक ने भी इंडियन एक्सप्रेस की सीमा चिश्ती से कहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट में जो आरोप हैं, वे सही नहीं हैं। निराधार हैं। जस्टिस पटनायक ने रोहिणी सिंह से भी कहा है कि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से जो कहा है उस पर कायम हैं। अस्थाना के खिलाफ सीबीआई में जांच के छह-छह मामले लंबित हैं। अस्थाना दिल्ली हाईकोर्ट गए थे कि एफआईआर ख़ारिज की जाए, मगर हाईकोर्ट ने उल्टा सीबीआई को ही दस हफ्ते के भीतर जांच करने के आदेश दे दिए।

अब आप बताइये कि क्या आपको लगता है कि आलोक वर्मा को हटाने के फैसले में प्रधानमंत्री को पड़ना चाहिए था? नैतिकता का तकाज़ा क्या कहता है? क्या अंबानी के लिए हुकूमतें कुछ भी कर जाएंगी? अब इसी ख़बर को आप अपने किसी भी हिन्दी अख़बार में खोजें। क्या कोई अख़बार इस ख़बर का फोलो अप कर रहा है? ऐसा नहीं है कि हिन्दी अख़बारों के पास मंझे हुए पत्रकार नहीं हैं, मगर ऐसी ख़बरें कहां हैं? सरकार और सीवीसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी ख़बरें हिन्दी अख़बारों और चैनलों के ज़रिए जनता तक पहुंचेंगी ही नहीं।

आज टेलीग्राफ अख़बार ने पूर्व चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने भी कहा कि आलोक वर्मा को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसके दौर की मीडिया की हालत से शुरू होना चाहिए। अगर मीडिया ही आज़ाद नहीं है तो फिर आप किस सूचना के आधार पर उस सरकार का मूल्यांकन कर रहे हैं, यह सवाल ख़ुद से पूछें और अपने हिन्दी अख़बार और न्यूज़ चैनलों से पूछें। सबकुछ बर्बाद हो जाए, इससे पहले यह सवाल ज़रूर पूछें।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अख़बार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में
खाता संख्या : 451102010004150
IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोड़ा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

संघ परिवार के लिये लिया गया एक राजनीतिक धार्मिक मुद्दा

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 13-19 जनवरी 2019 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। सीबीआई डायरेक्टर आलोक द्वारा राफ़ेल मामले में प्राथमिक जांच के फैसले की आशंका से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डावोल तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सीवीसी शरद कुमार की रिपोर्ट को आधार बनाकर आलोक वर्मा के विरुद्ध षडयंत्र रचा और 23-24 अक्तूबर की अर्द्ध रात्री में वर्मा का तख्ता पलट कर दिया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को उनके खिलाफ़ आरोपों की जांच देने तक कोई नीतिगत निर्णय न लेने का निर्देश देकर उनके पद पर बहाल कर दिया। इस पूरे प्रकरण की 'सीबीआई चीफ़ वर्मा राफेल मामले में ले सकते थे प्राथमिक जांच कराने का फैसला' बेबाक निर्भिक समीक्षा की गई है। यह समाचार लिखे जाने के बाद इस संदर्भ में महत्वपूर्ण मोड़ आ चुका है। जिसकी चर्चा करना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी जी, जेटली तथा डोवाल के लिये एक करारा झटका था और उनको राफ़ेल मामले में जांच का डर सता रहा था। इसलिये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तीन दिनों के अंदर ही प्रधानमंत्री वाली तीन सदस्यीय हाई पावर कमेटी ने 2-3 के बहुमत से सीवीसी की रिपोर्ट पर वर्मा को हटाने का फैसला कर दिया। ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए के पटनायक जिनकी निगरानी में वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीवीसी ने की थी ने कहा कि वर्मा के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं था तथा हाई पावर कमेटी ने वर्मा को हटाने का फ़ैसला बहुत जल्दबाज़ी में किया और सीवीसी ने जो कहा, वह अंतिम शब्द नहीं हो सकता। गौरतलब है कि हाई पावर कमेटी के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए के सीकरी ने आलोक वर्मा को अपने बचाव का मौका दिये बिना हटाने में मोदी सरकार का साथ दिया और तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खर्गे को भी कांविन्स करने की कोशिश की।

मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों को लुभाने के लिये उनके सेवारत रहते हुए उनकी सेवानिवृत्त के बाद महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की। इसी कड़ी में जस्टिस ए के सीकरी को उनके रिटायर होने से दो महीने पहले ही लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सैक्रेटेरियेट आर्बिट्रल ट्रिब्युनल (सीएसएटी) का सदस्य मनोनीत करने का निर्णय कर लिया था जिस पर जस्टिस सीकरी ने अपनी सहमति भी दे दी थी। राजनीतिक नेताओं और विधी विशेषज्ञों ने मोदी सरकार के इस कदम की कटु आलोचना की। इस पर जस्टिस सीकरी ने इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य बनने की अपनी सहमति वापिस लेने की सूचना सरकार को दे दी। अब वे इससे भी कोई बेहतर तैनाती की उम्मीद कर रहे हैं।

इससे इस आशंका को बल मिलता है कि मोदी सरकार ने आलोक वर्मा मामले में निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों का कहना है कि सीबीआई को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने का समय आ गया है, अन्यथा इस तरह के मामले होते रहेंगे।

हरियाणा में जींद में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस, इडियन नेशनल लोक दल (इनेलो), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने अपने-अपने उम्मीदवार मैंदान में उतारे हैं। इनमें से भाजपा ने पंजाबी तो शेष तीनों पार्टी ने जाट कार्ड भुनाने के लिये जाट उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को उतारा है जो कैथल से विधायक है। सुरजेवाला को प्रत्याशी बनाने के पीछे कांग्रेस की रणनीति और हरियाणा की भावी राजनीतिक दशा का 'जींद में रणदीप सुरजेवाला को उतारने का गहरा मतलब है-कांग्रेस भूपेन्द्र हुड्डा टाइप राजनीति से मुक्ति चाहती है' में सटीक विश्लेषण किया गया है। तीन जाट प्रत्याशी होने से जाट मतों के विभाजित होने और अधिकांश गैरजाट मतों का पंजाबी उम्मीदवार को समर्थन मिलने की आशंका है जिससे भाजपा प्रत्याशी को फ़ायदा मिलने की सम्भावना है। यदि यह उपचुनाव सुरजेवाला जीत जाते हैं तो उन्हें एक सीट से इस्तीफ़ा देना होगा, जिसके लिये फ़िर से उपचुनाव की जरूरत पड़ेगी। राजनीतिक गलियारों में सवाल उछल रहा है कि आखिर सुरजेवाला की उम्मीदवारी के पीछे चुनावी रणनीति की कौनसी चाल है?

सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत सिंह राम-रहीम जो पहले ही अपने डेरे की साध्वियों के साथ रेप के मामले में जेल की सज़ा काट रहा है को हरियाणा के पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत ने सिरसा के पत्रकार रामचन्द्र छत्रपति की हत्या का दोषी करार दिया है जिसकी सज़ा अभी सुनानी है। सभी राजनीतिक दल कांग्रेस, भाजपा व इनेलो चुनावों में राम-रहीम से मदद लेते रहे हैं तथा डेरे में चल रही अनैतिक गतिविधियों की तरफ़ अपनी आंख-कान बंद किये हुए थे। केन्द्र में सत्ताधारी भाजपा की मोदी सरकार तथा हरियाणा की खट्टर सरकार दोनों का राम-रहीम को वरद्-हस्त प्राप्त था जिसका जीता जागता प्रमाण है 25 अगस्त 2017 को सीबीआई अदालत द्वारा राम-रहीम को सज़ा सुनाने पर राम-रहीम के अनुयायियों द्वारा पंचकूला और दूसरे शहरों में तांडव मचाया गया, परंतु दोनों सरकारों ने इसकी अपने ऊपर नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, जिसका 'याद रहे, सरकारें इस हत्यारे-बलात्कारी ''बाबा'' के साथ थी, में कच्चा चिट्ठा खोला गया है। 'हजूर भगवान से एक मुलाकात, में धन्य हो गया...!' में डेरा और राम-रहीम की वास्तविकता से पाठकों को रूबरू कराने का निर्भीक व सराहनीय कार्य किया गया है।

भारत में सभी राजनीतिक दल पहले वार्षिक सदस्यता शुल्क से पार्टी का खर्चा चलाते थे, लेकिन यह पूरा नहीं पड़ता था, इसलिये सभी दलों ने अन्य लोगों से चंदा लेना शुरू कर दिया। सभी पार्टियां पूंजीपति वर्ग तथा कॉर्पोरेट घरानों से घोषित-अघोषित चंदा लेती है जिसका सबसे ज्यादा फ़ायदा शासन पार्टी को मिलता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है भाजपा भारत की सबसे अमीर पार्टी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भाजपा को अन्य सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिलाकर मिले चंदे की राशि से 13 गुणा ज्यादा चंदा मिला है। 'पूंजीपतियों के पैसे से चलने वाली पार्टियां आखिर क्यों होगी जनता के प्रति जवाबदेह' में विभिन्न राजनीतिक दलों को मिले चंदे की राशि का खुलासा किया गया है। मोदी सरकार ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के लिये चुनावी बॉन्ड की बिक्री की नई व्यवस्था की है, परंतु चंदा देने वाले व्यक्ति या संस्था अथवा संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी जिससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों में पारदर्शिता नहीं आएगी और गोपनीयता बनी रहेगी।

2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश (यूपी) में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) व समाजवादी पार्टी (सपा) के गठबंधन से प्रधानमंत्री मोदी के सामने उत्पन्न चुनौती की 'मोदी का रास्ता रोक न दे यह गठबंधन!' में चर्चा की गई है तथा गठबंधन के संदर्भ में यूपी की भावी चुनावी राजनीतिक स्थिति का आंकलन किया गया है। यदि यूपी में इस गठबंधन के जरिये दलित-मुस्लिम-यादव समीकरण को सफ़लता मिलती है तो निकट भविष्य में देश की सियाशत का चेहरा भी बदलेगा।

पंजाब में फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित इंडियन साईंस कांग्रेस में प्रधान मंत्री मोदी की तरह कुछ मोदी भक्त वैज्ञानिकों द्वारा पुराणों के दावों को विज्ञान बताने के प्रयास का 'साईंस कांग्रेस में अज्ञान और अन्धविश्वास सर चढकर बोले...क्या आश्चर्य विश्व पुस्तक मेले में भी अज्ञान और अन्धविश्वास ही धड़ल्ले से बिके' में पर्दाफ़ाश किया गया है। मिथक और विज्ञान को मिलाने की यह योजना आरएसएस के कार्यक्रम का ही भाग है जो यूरोप और अमेरिका के सारे शोध प्रबंधों को प्राचीन भारत की नकल बताकर संतुष्ट होना चाहता है। पुष्तक प्रेमियों ने प्रकाशकों के दृष्टिकोण से दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला 2019 पहले के मेलों के मुकाबले में ज्यादा आकर्षक नहीं रहा क्योंकि लगभग सभी कार्यक्रम पुराण और ईश्वर की भक्ति से ओतप्रेत थे। इसके अतिरिक्त मेले के आयोजन का समय फ़रवरी की अपेक्षा जनवरी अधिक ठंड वाला माह बाहर के पुस्तक प्रेमियों के लिये उपयुक्त नहीं था।

बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, असहिष्णुता, किसानों की बदहाली आदि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिये मोदी सरकार ने लोक सभा चुनाव के ठीक पहले सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण के झांसे में उलझा दिया। लगभग एक शताब्दी तक आरक्षण का आधार सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ापन था, परंतु पिछले दिनों आरएसएस की नीतिगत उसमें आर्थिक आधार जोड़ा गया। लेकिन मोदी सरकार की इस कवायद का जवाब देने के लिये महाराष्ट्र ओबीसी संघर्ष समन्वय समिति आरक्षण की सीमा बढाने की मांग पर अन्य दलों के सहयोग से आंदोलन करने की तैयारी में जुट गई है और उन्होंने 25 फ़रवरी को एक रैली भी आयोजित की है जिसकी 'भूड़के का आरक्षण आन्दोलन: महाराष्ट्र में पिछड़ों ने की आरक्षण बढाने की मांग, 25 फ़रवरी की रैली' में विवेचना की गई है। ओबीसी के साथ-साथ सामान्य वर्ग के गररीब लोग भी 8 लाख तक आय का विरोध करने लगे हैं क्योंकि उनको आशंका है कि इससे उनके हक मारे जाएंगे।

संघ परिवार के लिये लिया गया एक राजनीतिक धार्मिक मुद्दा और वोट प्राप्त करने का एक आसान जरिया है। उनके लिये गाय के सामने मानव का कोई महत्व नहीं है। गौ हत्या के आरोपियों पर तो एनएसए लगाया जाता है परन्तु भीड़ तंत्र द्वारा इंस्पेक्टर की हत्या कर देने पर हत्यारों या आरोपियों के विरुद्ध कोई सख्त कार्यबाई नहीं की जाती। अब नौबत यह आ गई है कि गाय का मुद्दा राजनीतिक नहीं रह जाएगा। गांवों में पशु किसानों की फसलें चौपट कर रहे हैं, इसलिये अपनी फ़सल की रक्षा के लिये गांव के लोग एकजुट होकर पशुओं को घेर कर स्कूल, अस्पताल, सरपंच के अहाते में या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर बंद करने पर आमादा हो गए हैं। आवारा पशुओं की समस्या भाजपा सरकारों के लिये एक चुनौती के रूप में पेश आएगी, जिस पर 'यूपी में बीजेपी की खेती चरने को तैयार योगी के साड!' में चर्चा की गई है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी हर रैली व सभा में साढे चार साल से लगातार पं. जवाहर लाल नेहरू की आलोचना करने पर 'मुझे 5 साल और दो, नेहरू के किस्से अभी बाकी हैं।', सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत देने पर 'महिलाओं का सबरीमाला मन्दिर में प्रवेश वर्जित' तथा भाजपा के विरुद्ध सपा-बसपा के गठबंधन पर 'सपा-बसपा साथ-साथ, भाजपा को पड़ेगी लात' कार्टूनों द्वारा यथोचित कटाक्ष किया गया है।